ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खंड इन्दोरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश

लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अटाहड़ा विकास खंड इन्दोरा जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थे।

प्रधानः-

क्रंम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति रेणु बाला	01/04/2015 से 22-01-2016
2..	श्रीमति प्रवीण बाला	23/01/2016 से 31/03/2018

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप कुमार	01/04/2015 से 30/09/2016
2.	श्री कुलदीप कुमार	01/10/2016 से 31/03/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत अटाहड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो मे अन्तर	0.39
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.33

3	09	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.06
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना निर्माण सामग्री का क्रय	1.25

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-06-18 से 22-06-18 तक ग्राम पंचायत अटाहडा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमश: 08/2015,06/2016 ,08/2017 व 01/2016 ,08/2016,07/2017 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अटाहड़ा विकास खण्ड इन्दोरा जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-161 दिनांक-22-06-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत अटाहड़ा से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

स्व-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत अटाहडा के अवधि 04/15 से 03/18 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	411883	33571	445454	18555	426899
2016-17	426899	99991	526890	74222	452668
2017-18	452668	128583	581251	22303	558948

अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	402581	3694770	4097351	3310162	787189
2016-17	787189	3986281	4773470	3306885	1466585
2017-18	1466585	3797773	5264358	4358465	905893

दिनांक 31.3.18 को कुल अन्तिम शेष = **₹1464841 (558948+905893)**

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा **बैंक में जमा राशि का विवरण :-**

क्रमं संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1.	SABHA FUND	20031004501	के.सी.सी.बी. गंगथ	163376/-
2	I.A.Y./RAY	50055728159	के.सी.सी.बी. गंगथ	NIL
3	13TH/14TH FC	50055728319	के.सी.सी.बी. गंगथ	1220058/-
4	SDP	50058983911	के.सी.सी.बी. गंगथ	2822/-
5	TSC/NBA	50055728375	के.सी.सी.बी. गंगथ	19759/-
6	V.K.V.N.Y	50060171687	के.सी.सी.बी. गंगथ	1185/-
7	VMJS	50055728171	के.सी.सी.बी. गंगथ	18065/-
8	3RD STATE	50055728284	के.सी.सी.बी. गंगथ	57/-
9	NRHM	50055728331	के.सी.सी.बी. गंगथ	351/-
10	MMGPY	50055728217	के.सी.सी.बी. गंगथ	83/-
11	हस्तगत राशि			--
			कुल योग	**1425756**

दिनांक 31.3.18 का रोकड़ बही तथा बैंक में जमा राशि के अन्तशेष में अन्तर=₹39085 (1464841—1425756)

5 **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.39 लाख का अन्तर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अटाहडा द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹39085/- का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है** (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है)

अत: इस अन्तर का शीघ्र मिलान किया जाए तथा **भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये** व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :—

6.1 रोकड़ बही का नियमानुसार रख—रखाव न करनाः—

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत अटाहड़ा में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/18 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों के भुगतान हेतु चयनित माह में प्रस्तुत बिलों/मस्टरोलों के साथ F.T.O./Wages list की प्रति नहीं पाई गई और न ही **माप पुस्तिका की प्रविष्टि इत्यादि से सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी I अतः उपरोक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना** सुनिश्चित **किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये I**

7 पंचायत राजस्व ₹0.33 लाख का वसूली हेतु शेष :-

पंचायत कि स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार दिनांक 31-03-18 तक पंचायत राजस्व ₹33430 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए I

7.1 गृहकर

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या Gen+Bpl	दर प्रति /परिवार Gen+Bpl	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2015-16	11200	450+100 =550	25/10	11250+1000 =12250	23450	2265	21185
2.	2016-17	21185	460+100 =560	25/10	11500+1000 =12500	33685	NIL	33685
3.	2017-18	33685	485+100 =585	25/10	12125+1000 =13125	46810	13380	33430

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹850 को बैंक में जमा न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली तो की गई परन्तु उक्त राशि को 31-03-18 तक बैंक में जमा नहीं करवाया गया अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सबन्धित कर्मचारी द्वारा इसे बैंक में ज़मा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा लेखा परीक्षा को अनुपालना से अवगत करवाया जाये I वर्ष 2017-18 के दौरान वसूली गई राशि का विवरण जो बैंक में जमा नहीं करवाई गई निम्न दर्शाया गया है |

दिनांक	रसीद संख्या	पंजीकृत विवाह	वसूली गई राशि
08-12-17	0132745	01	200
10-12-17	0132746	01	200
11-12-17	0132747,48	02	400
07-02-18	0132749	01	50
	कुल योग		**850/-**

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा ब्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया

गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹9.06 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹905893 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.25 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹125080 की निर्माण सामग्री का क्रय बिना औपचारिकतायें पूर्ण किए किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन

अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
6 डाक टिकट रजिस्टर
7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि
8 वर्गीकृत सार (Classified Abstract)

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार स्थाई व अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमिततायेः--

13.1 ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियम अनुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

13.3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सिटींग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से समन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बधी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अत: इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:-

लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की बहुत **आवश्यकता है I**

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)217 / 2018 खण्ड–1–6417–6420 दिनांक–29.09. 2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881